

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01052025-262804
SG-DL-E-01052025-262804असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131]	दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 28, 2025/वैशाख 8, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 31
No. 131]	DELHI, MONDAY, APRIL 28, 2025/VAISAKHA 8, 1947	[N. C. T. D. No. 31

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

फा0 सं0 8/12/2025/गृह पुलिस-III/263-76.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद्वारा श्री अमित प्रसाद, अधिवक्ता (नामांकन संख्या डी/701/1998) को दिल्ली पुलिस द्वारा दिनांक 26.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर मकोका अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के अंतर्गत दिनांक 28.08.2024 की एफआईआर सं0 165/2024, पुलिस स्टेशन अपराध शाखा, नई दिल्ली के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए 'विशेष लोक अभियोजक' के रूप में नियुक्त करते हैं—

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
उपस्थिति शुल्क	रुपये 60,000/- प्रति उपस्थिति
सम्मेलन शुल्क	रुपये 15,000/- प्रति सम्मेलन
प्रारूपण शुल्क (वास्तविक)	रुपये 1,10,000/- प्रति प्रारूपण

प्रारूपण शुल्क (विविध)	रुपये 10,000 /— प्रति प्रारूपण
लिपिकीय	बिल राशि का 10 प्रतिशत
व्यय	वास्तविक के अनुसार

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

यश पाल, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 28th April, 2025

F. No. 8/12/2025/HP-III/263-76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Amit Prasad, Advocate (Enrolment No. D/701/1998) as Special Public Prosecutor to represent the state before Hon'ble High Court of Delhi in case FIR No. 165/2024 dated 28.08.2024, u/s 3 and 4 of MCOC Act, P.S. Crime Branch, New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 26.12.2024:-

Detail of work	Proposed fee
Appearance Fee	Rs. 60,000/- per appearance
Conference Fee	Rs. 15,000/- per conference
Drafting Fee(Substantive)	Rs. 1,10,000/- per draft
Drafting Fee(Miscellaneous)	Rs. 10,000/- per draft
Clerkage	10% of bill amount
Expense	as per actuals

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

YASH PAL, Dy. Secy. (Home-DoP)